Physical and financial targets and achievements under IRDP

Physical	1991-92	1992-93	1993-94
No. of families targetted to be covered (Nos. in lakhs)	22.52	18.75	25.70
No. of families actually covered (Nos. in lakh)	25.37	20.69	25.35
Financial			
Allocation (Rs. in crores)	703.61	662.22	1093.43
Expenditure (Rs. in crores)	773.09	693.08	955.91

As can be seen from the above table, both physical and financial targets have been almost fully achieved.

(c) Several steps have been taken in recent months to make IRDP more effective. These include raising of average level of investment per family to Rs. 12,000 during the current year, extension of family credit plan to 213 districts of the country for more intensified dosage of assistance and liberalisation of norms for infrastructural expenditure for more effective absorption of IRDP funds.

मरूस्थल विकास कार्यक्रम

4213. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मरुस्थल विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने का विचार रखती है जिससे कि कुछ और क्षेत्र इस कार्यक्रम में सम्मिलित किए जा सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वर्ष 1994-95 के लिए इस कार्यक्रम हेतु आबंटित की गई धनराशि को बढ़ाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) प्रो० सी० एच० हनुमंतराव की अध्यक्षता में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम संबंधी तकनीकी समिति ने सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलों और खण्डों का चयन करने के लिए मानदण्ड की सिफारिश की है इसके पश्चात मंत्रालय ने समिति द्वारा सिफारिश किए गये मानदंड के आलोक में प्रो० हनुमंतराव से सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये जाने वाले खण्डों की सूची तैयार करने का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटन को 1993-94 के 75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1994-95 में 85 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

सामान्य राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन ढांचा तैयार किया जाना

4214. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रोजगार बीमा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन ढांचा तैयार करने हेतु प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रोजगार बीमा योजना से प्राप्त धन से लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन को रोकने में सहायता मिलती है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या अन्य कदम उठाए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को अलग-अलग राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत रोजगार की सम्बन्धित अनुसूची के लिये अधिसूचना अनुसार न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। एक समान राष्ट्रीय मजदूरी नीति तैयार करने के मामले पर विगत में श्रम मंत्रालय द्वारा